राजस्थान में बच्चों, किशोरों एवं युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम

बजट अध्ययन एवं अनुसन्धान केंद्र ट्रस्ट
Budget Analysis and Research Centre Trust
(www.barctrust.org)

राजस्थान में बच्चों, किशोरों एवं युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम

बजट अध्ययन एवं अनुसन्धान केंद्र ट्रस्ट
Budget Analysis and Research Centre Trust
(www.barctrust.org)

राजस्थान में बच्चों, किशोरों एवं युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम

शोध एवं लेखन : सकील खान
मिताली सोनी
नीरज महला

2022

अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु इस पुस्तिका का उपयोग सन्दर्भ के साथ किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः इस पुस्तिका में शामिल योजनाओं/कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी सरकारी वेबसाइट और रिपोर्टस से ली गयी है, जिसका उद्देश्य इन योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस पुस्तिका में योजनाओं से सम्बंधित विवरण यथा संभव सटीक एवं त्रुटी रहित रूप से दी गई है, फिर भी किसी संशय या अस्पष्टता की स्थिति में सरकारी स्रोतों से जानकारी लेना आवश्यक है।

प्रकाशकः बजट अध्ययन एवं अनुसन्धान केंद्र ट्रस्ट

विषय सूची

क्र.सं.	श्रेणी	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	1
2	बाल अधिकार	2–3
3	बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के लिये संस्थानिक ढ़ाचा	4–6
4	शिक्षा से सम्बंधित योजनाएं	7–30
5	स्वास्थ्य से सम्बंधित योजनाएं	31–35
6	कौशल विकास से सम्बंधित योजनाएं	36–39
7	रोजगार एवं आजीविका से सम्बंधित योजनाएं	40–43
8	महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित योजनाएं	44–47
9	महिला पुनर्वास से सम्बंधित योजनाएं	48–49
10	विवाह हेतु सहायता से सम्बंधित योजनाएं	50–52
11	सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित योजनाएं	53–54
12	बाल संरक्षण से सम्बंधित योजनाएं	55
13	पोषण से सम्बंधित योजनाएं	56–57
14	खेल से सम्बंधित योजनाएं	58
15	अन्य योजनाएं	59
	एसएसओ (SSO) पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान जन कल्याण पोर्टल, राजस्थान के बारे में जानकारी	60

परिचय

बच्चे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर सम्मलेन के अनुसार 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को बच्चा माना जाता है। अपने देश ने भी सयुंक्त राष्ट्र संघ के बच्चों के अधिकार पर सम्मलेन पर हस्ताक्षर किया है और उन्हें मानता है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की आधी से थोड़ी कम आबादी बच्चों की है। हालांकि राज्य में अधिकांश बच्चे स्कूलों में हैं, फिर भी राज्य में बच्चों को बीच में पढ़ाई छुट जाना, कुपोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चों के प्रति अपराध आदि कईं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

युवा आयु वर्ग की कोई सार्वभौमिक रूप से सहमत अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र 'युवा' को 15 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन देश की युवा नीति 2014 में 15 से 29 वर्ष के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। राजस्थान में 2011 में इस आयु समूह के युवाओं की जनसँख्या लगभग 1.91 करोड़ है, जो राज्य की जनसँख्या का 27.85 प्रतिशत है। युवाओं को विभिन्न प्रकार की विकास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे लैंगिक असमानता, उच्च एवं तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा तक पहुँच में कमी, बेरोजगारी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भटकाव, काम के लिए प्रवास, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि।

बच्चों और युवाओं के बीच एक समूह **किशोरों** का है। 11 से 19 वर्ष के व्यक्तियों को किशोर मानते हैं। किशोर उम्र के बालक और बालिकाओं की अपनी समस्याएं और कुछ अलग जरूरतें होती हैं। बढ़ती उम्र में उन्हें विशेष खान पान और पोषण की आवश्यकता होती है तो साथ ही उनके शरीर में हो रहे बदलावों, पढ़ाई और कैरियर की चिंताओं, समाज, परिवार एवं साथियों के अपेक्षाओं के भार से भी दो चार होना पड़ता है। इन सब का नतीजा कई बार किशोरों को मानसिक तनाव और अवसाद के रूप में भी देखने को मिलता है।

इस पुस्तिका में बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए राज्य में लागू सरकारी योजनाओं को एक जगह करने की कोशिश की गई है। ताकि सभी बच्चों, युवाओं और किशोरों को इनका लाभ मिल सके। इस पुस्तिका पर आपके सुझावों का स्वागत है।

बाल अधिकार

बाल अधिकार क्या है ?

बाल अधिकारों पर दी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दी राइट्स ऑफ चाइल्ड (UNCRC) को 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकारा गया था। औपचारिक रूप से भारत सरकार ने यूएनसीआरसी को 11 दिसंबर, 1992 को अपनाया। कन्वेंशन द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया है। कन्वेंशन बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार और समुदाय के सदस्य के रूप में, उसकी उम्र और विकास की स्थिति के अनुसार उपयुक्त अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ एक दिशा प्रदान करता है। बाल अधिकार गैर–भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है और सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य बच्चों के सर्वोत्तम हित में हों। कन्वेंशन के 54 अनुच्छेद हैं, जिनमें बच्चों को 41 विशेष अधिकार दिये गये हैं, जिन्हे चार प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

अस्तित्व का अधिकारः बच्चे के अस्तित्व का अधिकार बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भारत सरकार के अनुसार बच्चे का जीवन गर्भधारण के बीस सप्ताह के बाद शुरू होता है। इसलिए जीवित रहने के अधिकार में जन्म लेने का अधिकार, भोजन, आश्रय और वस्त्र के न्यूनतम मानकों का अधिकार के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल हैं।

संरक्षण का अधिकारः भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून हैं और बाल सुरक्षा को सामाजिक विकास के मुख्य घटक के रूप में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि बच्चों को हर तरह की हिंसा से बचाया जाये, उपेक्षा से सुरक्षित किया जाये, शारीरिक और यौन शोषण से से बचाया जाये तथा खतरनाक दवाओं से सुरक्षित रखा जाऐ।

भागीदारी का अधिकारः यह अधिकार हर बच्चे को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। बच्चों की उम्र व परिपक्वता के अनुसार भागीदारी के अलग–अलग अवसर होते हैं।

विकास का अधिकारः इस अधिकार में पौष्टिक भोजन, आंगनवाड़ी/ शाला पूर्व शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उचित देखभाल, व्यावसायिक शिक्षा, खेल व मनोरंजन, अवकाश, मित्र, सामाजीकरण के लिए सुअवसर प्रदान करना आदि अधिकार शामिल हैं। बचपन का शुरूआती समय काफी महत्त्वपूर्ण होता है और उसका असर जीवन भर रहता है। जन्म के बाद शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और उसका शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और वयस्क होने पर उसकी कमाने की क्षमता और सफलता इसी पर निर्भर करती है।

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जिसमें भी कई प्रकार के बाल अधिकारों का प्रावधान है। संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 24(a) बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक कार्य से सुरक्षित रहने का अधिकार देता है। इस प्रकार अपने देश ने यूएनसीआरसी को तो अपनाया हुआ है साथ ही भारतीय संविधान में बाल संरक्षण एवं कल्याण के लिए कई प्रावधान हैं।

बाल अधिकार से सम्बंधित कानून – देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कानून भी बने हुए हैं। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012– लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ओफ्फेंसेस एक्ट, 2012) का संक्षिप्त रूप पॉक्सो है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को उन वयस्क लोगों से बचाना है, जो उनका लैंगिक शोषण करते हैं। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया तथा संशोधित कानून को 16 अगस्त 2019 से लागू किया गया ।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006– ऐसी शादी जिसमें वर या वधु दोनों में से कोई भी नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु का लड़का) हो, उस पर रोक लगाने तथा रद्द करने के लिए यह कानून बनाया गया है।

बालश्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016– बालश्रम अधिनियम, 1986 को 2016 संशोधित किया गया। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम करवाना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को अवैध माना गया। 14–18 वर्ष के किशोरों के लिए घोषित किए गये खतरनाक क्षेत्रों में काम करना निषेध किया गया।

शिक्षा का अधिकार कानून, 2009– 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21(a) को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है तथा 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है। इसके तहत 6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015– जुवेनाइल अपराध में संलग्न बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केन्द्र ले जाने का फैसला लेने का अधिकार है। 16–18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती और उन्हें जेल या हवालात में नहीं भेजा जा सकता। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुदकमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा।

बाल अधिकारों से सम्बंधित संस्थाएं

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग– बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गयी।

राजस्थान राज्य युवा बोर्ड– राजस्थान युवा बोर्ड युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार की स्वायत्तशासी अनुदानित संस्था है। युवाओं के स्वास्थ्य, खेल, सांस्कृतिक, रोजगार, विज्ञानं व तकनीकी में दक्षता, कार्यकुशलता व्यक्तिव विकास राजस्थान राज्य युवा बोर्ड का मुख्य ध्येय है। राजस्थान युवा बोर्ड में एक अध्यक्ष, 8 पदेन सदस्य, अधिकतम 12 गैर सरकारी सदस्य होते हैं एवं राजस्थान सरकार द्वारा 1 प्रतिनिधि सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है। राजस्थान युवा बोर्ड युवा के बारे में अधिक जानकारी इसकी वेबसाइट https://youthboard.rajasthan.gov.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के लिये संस्थानिक ढ़ाचा

देश में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के लिये संस्थानिक ढ़ांचा बनाया गया है। यहां इन संस्थाओं का विवरण संक्षिप्त रूप से दिया गया है।

राष्ट्रीय स्तर :

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगः बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, और इसके तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी। इस आयोग का मुख्य कार्य यह देखना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम, और प्रशासनिक तंत्र का तालमेल भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार है।

कानूनी सेवा प्राधिकरणः इसका गठन 5 दिसंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य जरूरत मंदों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और न्यायिक मामलों के तीव्र समाधान के लिए लोक अदालतें लगाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक अध्यक्ष होते हैं और सर्वोच्च न्यायलय के दूसरे विरिष्ट न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसका का मुख्य उद्देश्य कानूनी मामलों का शीघ्र निपटारा करना और न्यायपालिका के बोझ को कम करना है। ऐसा ही प्रावधान राज्य और जिला स्तर पर भी है। इनकी अगवाई उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और जिला अदालतों के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीः सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक कानूनी निकाय है। सीएआरए मुख्य रूप से बच्चों के गोद लिये जाने के मामलों की देखरेख, नियमन और निगरानी करती है।

राज्य स्तर

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगः बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) स्थापित है। इस आयोग की स्थापना हर राज्य में बाल अधिकारों की रक्षा, प्रचार और बचाव के लिए की गयी है। आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जो बाल कल्याण में अनुभवी हों। इनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। राज्य आयोग को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी होती है।

राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणः बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन 29 नवम्बर 1997 को हुआ था। प्राधिकरण गरीबों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने और अदालतों के भार को कम करने के लिए विवादों के वैकल्पिक निपटारा प्रणाली का समर्थन करने पर काम कर रहा है। यह प्राधिकरण पीड़ित मुआवज़ा योजना भी चलाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा मिलता है।

राज्य बाल संरक्षण समितिः 23 अप्रैल 2010 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ राज्य में एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को प्रभाव में लाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार इस योजना के ठीक से कार्य करने के लिए आवश्यक ढांचे और समिति स्थापित करने और उनको सबल बनाने के लिए जिम्मेदार है। 11 अक्टूबर 2011 को बिहार सरकार ने राज्य बाल संरक्षण समिति को पंजीकृत किया। इस समिति का मुख्य कार्य राज्य में एकीकृत बाल संरक्षण योजना

को ठीक से क्रियांवित करना है। यह समिति बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के सामाजिक कल्याण निदेशालय के तहत काम करती है।

स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीः बच्चों को गोद लेने और इससे जुड़े हुए मामलो को निपटने के लिए राज्य सरकार ने स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी अधिनियम धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार, स्थापना की इस अथॉरिटी में 5 सदस्य होते हैं एवं इन 5 सदस्य में से एक राज्य सरकार के विभाग के निदेशक होते है और अन्य सदस्य राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, एडॉप्शन एजेंसी का एक प्रतिनिधि, नागरिक समाज के एक सदस्य जिन्हें कम से कम दस वर्षों तक बाल कल्याण में सुरक्षा का तजुर्बा हो और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य।

जिला स्तरः

जिला बाल संरक्षण इकाईः एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) स्थापित करना जरूरी है। डीसीपीयू जिला स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रमों को ठीक से लागु कराने के लिए जिमेदार है। इसके अलावा बाल संरक्षण, बच्चों की देखभाल और जोखिम में बच्चों के लिए निजी देखरेख कार्यक्रम स्थापित करना, आईसीपीएस के कामकाज के लिए प्रतिष्ठित संगठनों की पहचान करना और उन्हें समर्थन प्रदान करना आदि है।

बाल कल्याण समितिः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार हर राज्य सरकार को जिले में एक या दो बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) स्थापित करना होता है। प्रत्येक सीडब्ल्यूसी में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष को बाल कल्याण के मुद्दों में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए और बोर्ड में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। बच्चे को समिति या उस समिति के किसी भी सदस्य के सामने एक पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी नागरिक या फिर बच्चे खुद भी ले जा सकते हैं।

किशोर न्याय बोर्डः अपराध के आरोपी या अपराध के लिए हिरासत में रखे गए किशोरों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अनुसार इस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। इस अधिनियम के तहत उन बच्चों को जो किसी अपराध में शामिल हैं, अपराधिक अदालतों में नहीं ले जा सकते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में सुधार लाना है ना कि उन्हें दंड देना। इस बोर्ड का लक्ष्य उन बच्चों को जो अपराधिक गतिविधियों में दोषी पाए गए हैं, भविष्य में उन्हें आपराधिक गतिविधियों से दूर करने के लिए परामर्श देना है।

विशेष किशोर पुलिस इकाईः किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) का गठन सभी जिले और शहर में किया जाना चाहिये। इस इकाई का उद्देश्य कानून के साथ संघर्ष में बच्चों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को सक्षम करना है। इस अधिनियम के तहत हर पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी होना चाहिये, जो किशोर या बाल कल्याण अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित है।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक एसजेपीयू में दो सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जिला बाल संरक्षण समिति करती है। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक महिला होनी चाहिए।

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी): बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने बिहार राज्य के सभी जिलों में डीएलएसए का गठन किया है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के कार्य को

जिले में लोक अदालत लगाना, बातचीत, समझौता और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, समाज में खासकर, महिला और कमज़ोर वर्गों में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित करना, कानूनी जागरूकता के लिए पुस्तिकाएं और अन्य समाचार पत्र प्रकाशित करना और वितरित करना और वीडियो फिल्मों, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशन का उत्पादन करना, इससे जुड़े हुए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना, ऐसे एनजीओ जो विशेष रूप से दलित और आदिवासी, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी श्रमिकों के बीच जमीनी स्तर पर काम कर रहे उन्हें समर्थन देना है। इनके अलावा बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल गृह, आश्रय गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह स्थापित किये जाते हैं।

बाल गृहः हर जिले पे एक बाल गृह स्थापित किये जाने का प्रावधान है, इसमें उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है।

संप्रेक्षण गृहः राज्य के सभी जिलो में संप्रेक्षण गृह स्थापित होने का प्रावधान है। इन में 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के उन बच्चों को रखा जाता है जो विधि के उल्लंघन में शामिल हुए हों। ये बच्चे मामले के लंबित रहने, जमानत होने या उनके अंतिम निपटारे तक रखे जाते हैं। इनमें बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास, एवं पुनर्वास आदि के लिए सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

विशेष गृहः विधि के साथ संघर्षरत बच्चे या वो बच्चे जिनके दोष सिद्ध हो चुके हैं उनके पुनर्वास तक विशेष गृह में रखा जाता है। विशेष गृह का निर्माण राज्य में सभांग स्तर पर किया जाना चाहिए।

इनमें सभी स्थानों पर बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास, एवं पुनर्वास आदि के लिए सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रखण्ड स्तरः

प्रखण्ड बाल संरक्षण समितिः प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिये, जिसके अध्यक्ष पंचायत समिति अध्यक्ष होते हैं। इसका काम प्रखण्ड स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन को ठीक से संचालित करना है। बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) इस समिति के सदस्य सचिव होते हैं। समिति में 17 सदस्य हो सकते हैं जिनमें 2 महिलाओं और अन्य पद जिला परिषद सदस्यों और पंचायत प्रमुखों के लिए आरक्षित होते हैं। इस समिति के सदस्यों में डीसीपीयू, एक आईसीडीएस कार्यकर्ता, शिक्षा के और स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधियों, ग्राम स्तर की बाल संरक्षण समितियों के अध्यक्षों और समुदाय के सम्मानित सदस्यों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का एक सदस्य होने का प्रावधान है।

पंचायत स्तरः

ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समितिः ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति का गठन हर ग्राम पंचायत इकाई में किया जाता है। इसके अध्यक्ष पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि (मुखिया) होते हैं। यह समिति ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के ठीक से कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। इस समिति के सदस्य सचिव सीडीपीओ द्वारा चुने हुए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होते हैं। समिति में किशोर समूह / सबला और मीना / बाल संसद आदि के बच्चों के तीन प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिनमें से एक पद बाल महिला के लिए आरक्षित है। अन्य सदस्यों में डीसीपीयू, आंगनवाड़ी श्रमिक, स्कूल शिक्षकों, सहायक नर्स मिडवाइव के साथ–साथ सम्मानित गांव के सदस्यों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के सदस्य शामिल होते हैं। पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों में 19–20 सदस्यों के अलावा इस समिति के सदस्य भी हैं। समिति के 19–20 प्रस्तावित सदस्यों में से कम से कम सात सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

शिक्षा से सम्बंधित योजनाएं

बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन

वर्ष 1978 मेंयह योजना अनुसूचित क्षेत्र में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, जो दूर दराज़ क्षेत्र के निवासी है एवं शहर में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कररहे है, उनके कौशल विकास प्रशिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संचालित की गयी है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमे केंद्र तथा राज्य का बजट अनुपात 80:20 है।

लाभार्थी: जनजाति वर्ग के विद्यार्थी

लाभ: इन छात्रवासों में निवास करने वाले छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क आवास, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

नोडल अधिकारी: आयुक्त/उपायुक्त/कार्यालय मुख्य अधिकारी जिला परिषद
विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
आवेदन कैसे करें:

- जनजाति उपयोजना के जिलों के लिए– आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग/उपायुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग
- गैर उपयोजना क्षेत्र के जिलो के लिए– कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्

आश्रम छात्रावासों का संचालन

जनजाति छात्र–छात्राऐं उनके निवास स्थान के नजदीक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में तथा उनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर–दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पते है। अतः ऐसे छात्र–छात्राऐं अध्ययन जारी रख सके इस उद्देश्य से विभाग द्वारा आश्रम छात्रावासों का संचालन वर्ष 1981 में शुरू किया गया।

लाभार्थी:

- ऐसे जनजाति के छात्र/छात्रा जिनके निवास से 5 किमी तक उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय न हो। राजस्थान का मूल निवासी होअथवा आवेदक उसी जिले का आवासी हो जिस जिले के छात्रावास हेतु आवेदन किया हो।
- माता–पिता/अभिभावक आयकर दाता न हो
- सम्बन्धित विद्यालयों में उसी क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता होगी, स्थान रिक्त होने पर अन्य क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाता है।

लाभ:

क्र.	मद का नाम	विद्यमान पैटर्न
1	भोजन एवं नाश्ता विशेष भोजन एवं ईंधन आदि (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	1400

2	स्कूल यूनिफार्म मई सिलाई, जूते, मौजे, तौलिया एवं गर्म जर्सी आदि (प्रत्येक को वर्ष में एक बार देय)	280
3	बालों में लगाने का तेल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग इत्यादि (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	70
4	चादर, तकिया खोली, खेस की धुलाई	40
5	विविध व्यय (कोचिंग) (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	90
6	समाचार पत्र–पत्रिकाएं (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	20
	योग (रुपयों में)	**1900**

नोडल अधिकारी:उप निदेशक, शिक्षा/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
आवेदन कैसे करें: आवेदक अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र, अपनी SSO (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) द्वारा या विभाग की वेबसाइट (www.tad.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

आवासीय विद्यालयों का संचालन

अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में छात्र–छात्राओं में शिक्षा के उन्यन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारावर्ष 2002 में आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है।

लाभार्थी:

- अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राएं जिनके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हो तथा आयकरदाता न हो।
- प्रवेश हेतु चाही गयी कक्षा से पूर्व की कक्षा परीक्षा किसी राज्य के सरकारी विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो।

लाभ:

क्र.	मद का नाम	विद्यमान पैटर्न
1	भोजन एवं नाश्ता विशेष भोजन एवं ईंधन आदि (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	1400
2	स्कूल यूनिफार्म मई सिलाई, जूते, मौजे, तौलिया एवं गर्म जर्सी आदि (प्रत्येक को वर्ष में एक बार देय)	280
3	बालों में लगाने का तेल, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग इत्यादि (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	70
4	चादर, तकिया खोली, खेस की धुलाई	40
5	विविध व्यय (कोचिंग) (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	90
6	समाचार पत्र–पत्रिकाएं (प्रति माह प्रति छात्र–छात्रा)	20
	योग (रुपयों में)	**1900**

नोडल अधिकारी: उप निदेशक, शिक्षा
विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदक अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र, अपनी SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) द्वारा या विभाग की वेबसाइट (www.tad.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

इस योजना के अंतर्गत मंडल की शिक्षा व कौशल विकास विधमान तीन योजनओं (शिक्षा सहायता (छात्रवृति) योजना, मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना) को एकीकृत कर तथा देय हुए लाभ को बढ़ाकर निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से ये योजना चालू की गई है।

लाभार्थी:

- निर्माण श्रमिक के पुत्र, पुत्री तथा पत्नी ही शिक्षा सहायता (छात्रवृति) योजना के लिए पात्र होंगे।
- निर्माण श्रमिक की दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृति प्राप्त करने की पात्रता है, परन्तु पति और पत्नी दोनों पंजीबध्द हिताधिकारी हों तो पति पत्नी के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृति की पात्रता होगी। परन्तु मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी।
- पात्र व्यक्ति का कक्षा 6 से स्नातकोत्तर सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविधालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- मेधावी छात्र छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक कीपरीक्षा में 75 प्रतिशत अंक या समक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

लाभ:

	कक्षा 6 से 8		कक्षा 9 से 12		आईटीआई		डिप्लोमा *	
छात्रवृति	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन
राशि रू.	8000	9000	9000	10000	9000	10000	10000	11000

	स्नातक सामान्य		स्नातक प्रोफेशनल *		स्नातकोत्तर सामान्य		स्नातकोत्तर प्रोफेशनल *	
छात्रवृति	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन	छात्र	छात्रा विशेष योग्यजन
राशि रू.	13,000	15,000	18,000	20,000	15,000	17,000	23,000	25,000

मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार	कक्षा 6 से 8	कक्षा 9 से 12	डिप्लोमा *	स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक प्रोफेशनल *	स्नातकोत्तर प्रोफेशनल *

राशि रू.	4,000	6,000	10,000	8,000	12,000	25,000	35,000

***डिप्लोमा से आशय पोलोटेक्नीक, इंजीनियरिंग तथा अन्य डिप्लोमा से है तथा प्रोफेशनल कोर्स से आशय चिकित्सा, अभियांत्रिकी, बीई, बीटेक, एमबीए, एमडी,एमएस, एमटेक, एमसीए आदि कोर्स से है।

नोडल अधिकारी: उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी

विभाग: श्रम विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदक अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई–मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय छात्रावास की योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त संभागीय मुख्यालयों तथा 23 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स पर चरणबद्ध रूप से अल्पसंख्यक छात्रावाससंचालित किये जा रहे हैं।

लाभार्थी:

- छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं के परिवार (माता–पिता) की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2,00,000/– रुपये से अधिक न हो तथा आय प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा उद्घोषित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- अल्पसंख्यक समुदाय के अनाथ, विधवा व विकलांग महिलाओं की पुत्रियों को 10 प्रतिशत प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी।

लाभ: महाविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा की कोचिंग में अध्यनरत छात्र–छात्राओं तथा 9वी से 12वी कक्षा में अध्यनरत छात्र–छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक छात्रावास स्थापित किये गए हैं। वर्तमान में छात्रावास स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं, तथा जिसमें प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए 2000रूपये प्रतिमाह अधिकतम 9 माह 15 दिवस के लिए मेस भत्ता एवं अन्य फुटकर व्यय मद में अनुदान तथा राजकीय छात्रावास में आवासी छात्रों को 2500रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह अधिकतम 9 माह 15 दिवस की अवधि के लिए मेस भत्ता एवं अन्य फुटकर व्यय में अनुदान दिया जाता है।

नोडल अधिकारी:जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें: छात्र/छात्राएं अपने प्रार्थना पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न कर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

राजस्थान राज्य के राजकीय एवं निजी विधालयो में कक्षा 12 वी तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12 वी में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं छात्राओ में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना संचालित की जा रही है।

लाभार्थी:

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 70 प्रतिशत।
- वह सभी छात्रा जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- किसी भी महाविधालय/संस्था में स्नातक डिग्री अथवा किसी भी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तोर पर अध्ययतर हो।
- आवेदक के माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।

लाभ: स्कूटी के साथ – छात्र को देने तक का व्यय, एक वर्ष का सामान्य बीमा, पंचवर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक ही बार), एक हेलमेट दिया जाता है।

नोडल अधिकारी: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग
आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/scholarship.php पर जाके कर सकते है।

निशुल्क स्कूटी वितरण योजना (जनजाति क्षेत्र विकास)

इस योजना का उद्देश्य राज्य की मेधावी जनजाति छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 व 12वीं तक नियमित रूप से अध्ययन करने हेतु प्रेरित करनाहै।

लाभार्थी:

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की10 वीं/12वीं कक्षा की परीक्षा 65% या अधिक प्राप्त किये हो
- राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो

लाभ: 10 वीं/12वीं में प्राप्त करने वाली छात्रा को स्नातक में निम्न राशि दी जाती है

- स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष – 20000/–
- स्नातक कक्षा के द्वितीय वर्ष – 10000/–
- स्नातक कक्षा के तृतीय वर्ष – 10000/–

नोडल अधिकारी: जिला आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग
विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करेः www.tad.rajasthan.gov.in

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोतसाहन राशि योजना

इस योजना का उद्देश्य छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

लाभार्थीः राजस्थान मूल की अति पिछडा वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो।

लाभः स्कूटी दी जाती है

नोडल अधिकारीः अतिरिक्त निदेशक

विभागः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करेंः आवेदक देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/scholarship.php पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बाबु जगजीवन राम छात्रावास योजना

इस योजना का उद्देश्य मिडिल स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना है।

लाभार्थीः अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाएं

लाभः बालिका एवं बालक छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए लागत –

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 3.50 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी ,
- उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में 3.25 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी ,
- गंगा के मैदान और निचले हिमालयी क्षेत्र में 3.00 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी ,
- इन सबके अलावा, खाट, मेज, कुर्सी और टेलीविजन, कंप्यूटर, रसोई के उपकरण जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रति छात्र 5000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

नोडल अधिकारीः आयुक्त/निदेशक
विभागः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आवेदन कैसे करेंः बाबु जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) का आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाए।

आवासीय विधालय योजना

इस योजना का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावन छात्र/छात्राओं एवं पशुपालकों तथा भिक्षावृत्ति एवं अन्य गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों को स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलबध करवाना है।
लाभार्थी: अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विधार्थी
लाभ: छात्रों को छात्रावास की सुविधा एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

नोडल अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक
विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदन कैसे करें: सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से

देवनारायण गुरुकुल योजना

लाभार्थी:

- छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो ,
- छात्र–छात्रा अति पिछडा वर्ग – 1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी,की हो ,
- माता–पिता के आयकर दाता नहीं होने की स्वघोषणा/प्रमाण पत्र ,
- छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है। छात्र–छात्रा को कक्षा 5 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

लाभ: मुफ्त आवासीय सुविधा और मुफ्त शिक्षा।
नोडल अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक
विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदन कैसे करें:आवेदक देवनारायण गुरूकुल योजना की वेबसाइट https://rajshaladarpan.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बी.पी.एल. परिवार के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करना चाहते है, उन छात्राओं को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई है।

लाभार्थी:

- विद्यार्थी राजस्थान का निवासी होना चाहिए
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है

लाभ: अनुप्रति योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी निम्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकता है,

- UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा
- आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा

- सब इंस्पेक्टर
- रीट
- पटवारी, कनिष्ठ लिपिक, अन्य
- कांस्टेबल परीक्षा
- इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा
- क्लैट परीक्षा
- सीए/सीएस/सीएमएफएसी
- 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की परीक्षा
- ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: SJMS पोर्टल के माध्यम से जिसका लिंक https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=370

बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्णकरने वाले जनजाति प्रतिभावान छात्र को आर्थिक सहायता

यह योजना वर्ष 1993–1994 में प्रारम्भ की गयी जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य के प्रतिभावान जनजाति छात्रों को, जो राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत है, उन्हे प्रथम श्रेणी में उर्त्तीण होने हेतु प्रेरित करना है।

लाभार्थी:बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति विद्यार्थी को आर्थिक सहायता के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक योग्य है।

लाभ: बोर्ड कक्षाओं एवं विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण होते है उन्हें 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।

नोडल अधिकारी: उप निदेशक, शिक्षा

विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करें:आवेदक अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र, अपनी SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) द्वारा या विभाग की वेबसाइट (www.tad.rajasthan.gov.in) के माध्यम सेऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

यह योजना कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाली जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में जागृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ की गयी।

लाभार्थी: अनुसूचितजनजाति की ,राज्य के मूल निवासी छात्राएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो तथा उनके माता पिता आयकरदाता न हो।

लाभ: उच्च शिक्षा हेतु 350/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नोडल अधिकारी: उप निदेशक, शिक्षा

विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करें:आवेदक अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र, अपनी SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) द्वारा या विभाग की वेबसाइट (www.tad.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

राजस्थान राज्य की जनजाति छात्राओ को उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रेरित करने व बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 1994–1995 में यह योजना प्रारम्भ की गयी।

लाभार्थी: अनुसूचित जनजाति वर्ग, राज्य की मूलनिवासी छात्राएं जिन्होंने राजकीय महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली परीक्षा में भाग लिया हो, साथ ही जिनके माता पिता आयकरदाता न हो।

लाभ: 500 रु प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नोडल अधिकारी: उप निदेशक, शिक्षा

विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करें:आवेदक अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र, अपनी SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) द्वारा या विभाग की वेबसाइट (www.tad.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

एसटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है, माध्यमिक स्तर के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है।

लाभार्थी: राजस्थान के मूल निवासी हो तथा माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो।

लाभ:

समूह*	श्रेणी	राशि
समूह 1	हॉस्टलर्स के लिए प्रतिमाह	1200
	डे स्कॉलर्स के लिएप्रतिमाह	5500
समूह 2	हॉस्टलर्स के लिए प्रतिमाह	820
	डे स्कॉलर्स के लिएप्रतिमाह	530
समूह 3	हॉस्टलर्स के लिए प्रतिमाह	570
	डे स्कॉलर्स के लिएप्रतिमाह	300
समूह 4	हॉस्टलर्स के लिए प्रतिमाह	380
	डे स्कॉलर्स के लिएप्रतिमाह	230

* **समूह विवरण**

समूह 1: स्नातक व परास्नातक कार्यक्रम जिनमें एम. फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सम्मिलित है, इनके अन्तर्गत चिकित्सा औषधि विज्ञान अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाईन, फैशन टैक्नोलोजी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं अन्य सम्बद्ध पाठ्यक्रम, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्तीय प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग सम्मिलित है।वाणिज्यिक पायलट लाईसेन्स, प्रबन्ध व चिकित्सा की विविध शाखाओं में परास्नातकीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई.सी.एफ.ए., एल.एल.एम.आदि

समूह 2: समूह 1 में शामिल न किये गए अन्य स्नातक/परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्मेसी, नर्सिंग, एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरामेडिकल शाखा जैसे– रिहैबिलिटेशन, डाइगनोस्टिक्स आदि,मास कम्यूनिकेशन,होटल मैनेजमैन्ट व केटरिंग, ट्रैवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमैन्ट, इन्टिरियर डैकोरेशन, न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, फाईनेन्शियल सर्विसेज जिनके लिए प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षाणिक अर्हता कम से कम इण्टरमीडिएट होनी चाहिए।

समूह 3: समूह–1 व 2 के अन्तर्गत न आने वाले अन्य सभी स्नातकीय पाठ्यक्रम/कार्यक्रम जैसे–बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम आदि

समूह 4: पोस्ट मैट्रिकुलेशन श्रेणी के सभी पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश हेतु अर्हता हाईस्कूल (कक्षा–10) हो। उदाहरणार्थ सीनियर सैकण्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा–11 व 12), आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, 3 वर्ष हेतु पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम आदि

विभाग: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदन हेतु SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) पर लॉगिन के बाद आवेदन कर सकते है।

निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का आईआईटी आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना

इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियो के बच्चो को उच्चतम स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।

लाभार्थी:

- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।
- हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री द्वारा आई.आई.टी. अथवा आई.आई.एम. की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्था में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश ले लिया हो।
- सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान में ट्यूशन फीस हिताधिकारी द्वारा जमा करा दी गई हो।
- अभ्यर्थी के माता–पिता की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो।

लाभ: पात्र हिताधिकारी के पुत्र/ पुत्री का आई.आई.टी./ आई.आई.एम. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण मंडल द्वारा किया जायेगा।

नोडल अधिकारी:उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी

विभाग: श्रम विभाग

आवेदन कैसे करें:हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मंडल के ऑनलाइन पोर्टल www.idms.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते है।

निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक

इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियो के बच्चो को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना है। यह योजन राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020 में लागू की गयी है।

लाभार्थी:

- इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं।
- अभ्यर्थी के माता–पिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो।

लाभः

- भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर – 100000 रु
- राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर – 50000 रु

नोडल अधिकारी:उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी

विभागः श्रम विभाग

आवेदन कैसे करें: लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाईन पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.inपर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

मैट्रिक पूर्व छात्रवृति (अल्पसंख्यक के लिए)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभार्थी: 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं हो।

लाभः कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 100 रूपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 10 तक के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता 600 रूपये प्रतिमाह, 500 रूपये प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क वास्तविक या 350 रूपये प्रतिवर्ष देय है। छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता 100 रूपये प्रतिमाह, 100 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति, 500 रूपये प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क वास्तविक या 350 रूपये प्रतिवर्ष दिया जाता है।

नोडल अधिकारी:जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
विभागः अल्पसंख्यक मामलात विभाग
आवेदन कैसे करें: नेशनल स्कालरशिप पोर्टल।
नोट : इस योजना का क्रियान्वयन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (अल्पसंख्यक के लिए)

अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11 से 12 तक के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारीविद्यालयों में तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह छात्रवृति प्रदान की जाती है।

लाभार्थी: 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विधार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं हो।

लाभ:

- कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 7000 रूपये प्रतिवर्ष, कक्षा 11 व 12 स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों हेतु दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
- स्नातक तथा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम 3000 रूपये प्रतिवर्ष, एक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिए अनुरक्षण भत्ता 355 रूपये प्रतिवर्ष छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए तथा 185 अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है।
- वे विद्यार्थी जो छात्रावास में रह कर एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं तथा जिन्हें कोई फैलोशिप नहीं मिल रही हैं, ऐसे विद्यार्थियों को 510 रूपये तथा छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को 330 रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाती है।

नोडल अधिकारी:जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें:सम्बंधित विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

अल्प आय वर्ग के प्रतिभावन छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक साहयता प्रदान करना है।

लाभार्थी:

- राजस्थान का मूल निवासी हो। 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार तक हो।
- उच्च शिक्षा नियमित में अध्यनरत होना चाहिए।

लाभ: सामान्य छात्र छात्राओं को 5000रुवार्षिक और दिव्यांग छात्र छात्राओं को 10000रु वार्षिक दिए जाते है।

नोडल अधिकारी: लेखाधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदक मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना की वेबसाइट https://hte-rajasthan-gov-in/scholarship-phpपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं हेतु मैरिट कम मीन्स छात्रवृति

इस योजना का उदेश्य अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बध्द गरीब और मेवाधी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं ताकि वे व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढाई कर सकें।

लाभार्थी:

- माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नही होनी चाहिए।
- इस छात्रवृति का लाभ उन्ही विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से व्यवसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेशित हुए हो।
- ऐसे छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करते है, वे भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। लेकिन ऐसे छात्रों के उच्च माध्यमिक या स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।

लाभः

- ट्यूशन फीस– 20000 रूपये तक प्रति वर्ष या वास्तविक फीस जो भी कम हो।
- अनुरक्षण भत्ता– 10000 रूपये वार्षिक (1000 रूपये मासिक 10 माह तक) तथा डे–स्कॉलर हेतु यह राशि 5000 रूपये वार्षिक(500 रूपये मासिक 10 माह तक)।

नोडल अधिकारी: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें: विद्यार्थी अपना आवेदन केवल ऑनलाइन (https://scholarships.gov.in/) ही भर सकते हैं।

अनुप्रति योजना

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

लाभार्थी: जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय(अभ्यर्थियों की आय को सम्मिलित करते हुए) यदि दो लाख रूपये से अधिक न हो। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से 30 दिन तक अभ्यार्थी द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

लाभः

- **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतुः** प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रूपये तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अंतिम रूप से चयन) होने पर 5 हजार रूपये।
- **राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतुः** प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रूपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने

पर 20 हजार रूपये तथा साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अंतिम रूप से चयन) होने पर 5 हजार रूपये की राशि दी जाती है।

अभ्यार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह इस राशि का उपयोग मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा।

नोडल अधिकारी: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थी SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नई उडान

इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह केंद्र सरकार की योजना है।

लाभार्थी:आर्थिक सहायता के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबधित हैं और जो यूपीएससी, एसपीएससी तथा एसएससी इत्यादि द्वारा आयोजित प्राम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं तथा अन्य सभी पात्रता मापदंड और शर्ते पूरी करते हैं।

लाभ:अल्पसंख्यक छात्रसंघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सके तथा ग्रुप ''ए'' तथा ''बी'' पदों (राजपत्रित पद) के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) राज्य लोक सेवा आयोगों तह ग्रुप बी (अराजपत्रित) पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (सयुंक स्नातक स्तरीय) द्वारा आयोजित प्राम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके।

नोडल अधिकारी: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें:योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र अभ्यर्थी परिणाम की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर पोर्टल अर्थात www.naiudan-moma.gov.inके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मौलाना आजाद फैलोशिप

यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से एम.फिल/पीएचडी/जे.आर.एफ./एम.आर.ऍफ. करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को यह फैलोशिप दी जाती है।

लाभार्थी: स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थीयों को यह फैलोशिप दी जाती है।

लाभ:

फेलोशिप	शुरुवाती 2 वर्ष के लिए 25000 रु प्रतिमाह (जेआरएफ) शेषअवधि के लिए 28000 रु प्रतिमाह
क्लाऔरवाणिज्य के लिए आकस्मिक	शुरुवाती 2 वर्ष के लिए 25000 रु प्रतिवर्ष शेष 3 वर्ष के लिए 20500रु प्रतिवर्ष
विज्ञानं एवंअभियांत्रिक,प्रोधोगिकी एवंतकनिकी के लिए आकस्मिक	शुरुवाती 2 वर्ष के लिए 12000 रु प्रतिवर्ष शेष 3 वर्ष के लिए 25000 रु प्रतिवर्ष
विभागीय सहायता	सम्बन्द्ध संस्थानकोअवसरंचना के प्रावधान के लिए 3000रु प्रतिवर्षप्रतिछात्र की दरसे
एस्कोर्ट्स /रीडर	शारीरिकऔरद्रष्टिविकारग्रस्तअभ्यर्थियों के मामलोंमें 2000 रु प्रतिमाह

योजना के अंतर्गत अध्येतावृति प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का चयन सीबीएससीई और सीएसआईआर द्वारा आयोजित यूजीसी के राष्ट्रीय लाभार्थी:परीक्षा (एनईटी) में मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

नोडल अधिकारी: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें: योजना की वेबसाइटhttps://manf.ugc.ac.in/

नया सवेरा

अल्पसंख्यक समुदाय के विधार्थियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है ताकि सरकारी और निजी नोकरियो में उनकी भागीदारी में सुधार आए। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक विधार्थियों को चयनित कोचिंग संस्थानों में नि:शुल्क कोचिंग के लिए वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी:
इस योजना के तहत निम्नलिखित विशेष कोचिंग द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बंधित विधार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है:

- इजीनियरिंग,चिकित्सा,विधि,प्रबंधन,सूचना प्रोधोगिकी इत्यादी जैसे तकनिकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अर्हक परिक्षाए और विदेशी विश्वविधालयों में दाखिले के लिए भाषा /अभिरुचि परिक्षाए

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंक, बीमा कंपनियों के साथ साथ स्वायत निकायों सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परिक्षाए

लाभः इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले रहे सभी छात्रों को योजना द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार 2500/– प्रतिमाह दिए जायेंगे।

नोडल अधिकारीः जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभागः अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें:ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट http://coachingschememma.gov.in/पर जाके कर सकते है।

कृषि विषय में अध्यनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

इस योजना का उद्देश्य कृषि विषय में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक साहयता करना है।

लाभार्थी:राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों,महाविद्यालयों,विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

लाभःकृषि विषय में सीनियर सैकेण्डरी (10+2)में अध्ययनरत छात्राओं को राशि 5000रू प्रतिवर्ष ,कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी,डेयरी,कृषि अभियांत्रिकी,खाद्य प्रसंस्करण आदि में अध्ययनरत छात्राओं को 12000 रू प्रतिवर्ष, बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को भी 12000 रू प्रतिवर्ष। कृषि विषय में पी.एच.डी. में अध्ययनरत छात्राओं को 15000रू प्रतिवर्ष 3 वर्ष तक दिए जाते है।

नोडल अधिकारीः

- ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक
- जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि

विभागः कृषि विभाग

आवेदन कैसे करें:प्रोत्साहन राशि हेतु कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को आवेदन राज किसान पोर्टल (http://rajkisan.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद् को करना होगा।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च अध्ययन करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभार्थीः

- कक्षा 12 वीं में 80% अंक प्राप्त करने वाले छात्र।

- परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से काम हो।

लाभः

- स्नातक स्तर पर पहले तीन वर्षो के लिए 10000/– प्रतिवर्ष
- स्नातकोत्तर स्तर पर 20000/– प्रतिवर्ष
- प्रोफेशनल कोर्स करने वले छात्रों को 20000/– प्रतिवर्ष (अधिकतम 5 वर्ष तक)

नोडल अधिकारीः आयुक्त/निदेशक

विभागः मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग

आवेदन कैसे करें:आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है

ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य मेट्रिकोत्तर या मध्यिमकोत्तर कक्षाओ में पढने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वितिय सहायता प्रदान करना है जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके।

लाभार्थीः छात्र/छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थी हो, जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा राजस्थान के मूल निवासी हो।

लाभः

पाठ्यक्रम	छात्रवास में रहने वाले छात्रों को	अन्य छात्र
चिकित्सा/इंजनियरिंग/योजना/वास्तुकला/डिजाईन/ फैशन टेक्नोलॉजी/कृषि पशुपालन/विज्ञान/प्रबंधन आदि	750	350
फार्मसी /एल एल बी /अन्य पेरामेडिकल शाखायें आदि पाठ्यक्रम जिनके न्यूनतम प्रवेश लाभार्थीःउच्च माध्यमिक है	510	335
बीए /बीकॉम /बीएससी पाठ्क्रमो के लिए	400	210
सभी मेट्रिकोत्तरमेट्रिक स्तरके गैर डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश लाभार्थीःहाई स्कुल है।	260	160

नोडल अधिकारीः जिला कल्याण अधिकारी

विभागः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदन हेतु SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) पर लॉगिन के पष्चात आवेदन कर सकते है।

एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है, माध्यमिक स्तर के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है।
लाभार्थी:छात्र/छात्राएं राजस्थानके मूल निवासी हो तथा माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो।

लाभ:

समूह	श्रेणी	राशि
समूह 1	डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमो के हॉस्टलमें रहने वाले विधार्थियों के लिए	13500
	डे स्कॉलर्स के लिए	7000
समूह 2	डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के हॉस्टलमें रहने वाले विधार्थियों के लिए	9500
	डे स्कॉलर्स के लिए	6500
समूह 3	डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह 1 और 2 में शमिल नही है हॉस्टलमें रहने वाले विधार्थियों के लिए	6000
	डे स्कॉलर्स के लिए	3000
समूह 4	सभी पोस्ट मेट्रिक गैर डिग्री पाठ्यक्रमो में हॉस्टलमें रहने वाले विधार्थियों के लिए	4000
	डे स्कॉलर्स के लिए	2500

समूह 1स्नातक द्वितीय एंव तृतीय वर्ष सामान्य पाठ्यक्रम
समूह 2 विधि उपाधि,पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
समूह 3 डिप्लोमा,इंजीनियर,चिकित्सा, भोजन प्रबन्ध,नर्सिग एंव फार्मेसी में उपाधि
समूह 4 मेडिकल,इन्जीनियर डिग्री स्तर,स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक अध्ययन शोध

नोडल अधिकारी: जिला कल्याण अधिकारी

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें:आवेदन हेतु SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) पर लॉगिन के पष्चात आवेदन कर सकते है।

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना है।
लाभार्थी: राजस्थान की मूल निवासी हो व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक कला, विज्ञान, वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 75 प्रतिशत व उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं।

लाभ: 12वीं पास करने वाली छात्राओं को फाउंडेशन की तरफ से 5000 एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है।

नोडल अधिकारी:मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना सम्न्वय अधिकारी ,समग्र शिक्षा

विभाग: शिक्षा विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदक बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की वेबसाइट https://rajshaladarpan.nic.in/SD3/Home/BSF/Index.aspx पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आपकी बेटी योजना

योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की उन बालिकाओं को शिक्षा पूरी करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

लाभार्थी:

- कक्षा 1 से 12 में राजकीय, सरकारी एवं अर्ध सरकारी विद्यालयों में शिक्षा अध्ध्यनरत कर रही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राएँ
- वे बालिकाएं जिनके माता –पिता दोनों या एक का निधन हो गया हो

लाभ: कक्षा 1 से 8 में अध्धयनरत छात्राओं को 2100, कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 2500 रू दिए जाते हैं।

नोडल अधिकारी: मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना सम्न्वय अधिकारी ,समग्र शिक्षा

विभाग: शिक्षा विभाग

आवेदन कैसे करें: इस योजना के लिए विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से बालिका का फॉर्म भरा जाता है। इस फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवाया जाता है।

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा ऋण

यह योजना अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है यह स्वरोजगार तथा रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।

लाभार्थी: 16 से 32 वर्ष तक के आवेदकों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में 1.3 लाख रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 81 हजार रुपयों से कम हों, को उपलब्ध कराया जाता है।

लाभ:शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि वाले राज्य सरकार/केंद्र सरकार अथवा उनकी किसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु अधिकतम 2. 5 लाख रूपये (प्रतिवर्ष 50 हजार रूपये से अधिक नहीं) तक का ऋण दिया जाता है। इस शैक्षिक ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है। ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रमों पूर्ण करने के 6 माह अथवा रोजगार प्राप्त होने, जो भी पहले हो, से करना होता है।

नोडल अधिकारी: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें: जिला अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड।

राजीव गाँधी स्कालरशिप फॉर अकादमिक एक्सीलेंस

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृति प्रदान करना।

लाभः विदेश की अच्छे विश्वविद्यालयों से स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन, पीएचडी और पोस्ट–डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यकम हेतु छात्रों को पढने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभार्थीः

- राजस्थान का मूल निवासी हो
- यूजी, पीजी, पीएचडी तथा पोस्ट डॉक्टर के लिए सभी कोर्स शामिल है।
- छात्रों के माता पिता वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

विभागः शिक्षा विभाग

आवेदन कैसे करें: राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से (https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship)

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को एक ही स्थान पर निःशुल्क आवासीय स्थल एवं शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाता है। यह एक केंद्र वित्त पोषित योजना है जिसे वर्ष 1999 में शुरू किया गया।

लाभार्थीः अनुसूचित वर्ग के बाहुल्य क्षेत्र के विद्यार्थी

लाभः कक्षा 6 से 12 तक के 480 छात्र/छात्रों हेतु विद्यालय का निर्माण, 240 छात्र हेतु छात्रावास निर्माण, 240 छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण, डायनिंग हॉल निर्माण, खेल सुविधाओ का विकास, अभिभावकों के लिये आगन्तुक कक्ष का निर्माण वार्डन क्वाटर एवं स्टाफ क्वार्टर एवं चौकिदार रूम निर्माण, बाउण्ड्रीवाल निर्माण।

नोडल अधिकारीः

- जनजाति उपयोजना के जिलो के लिये– आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/ उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
- गैर उपयोजना क्षेत्र के जिलो के लिये– कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

विभागः जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करेः

- जनजाति उपयोजना के जिलो के लिये–आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/ उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
- गैर उपयोजना क्षेत्र के जिलो के लिये– कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

छात्रवृत्तियाँ

विवरणः छात्रवृत्ति का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनमे से यहाँ पाँच प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का उल्लेख किया गया हैं–1. अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9वीं–10वीं), 2. अनुसूचित जाति के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति, 3. अल्पसंख्यक के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (पहली से 10वीं), 4. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (6ठीं– 10वीं), 5. मैला ढोने वाले बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (पहली से 10वीं)। छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित समस्त जानकारी/ विज्ञप्ति/ निर्देश आदि का प्रकाशन समय–समय पर विभागीय वेबसाईट/ राज्य के मुख्य समाचार पत्रों/ शिविरा पत्रिका में कर विद्यार्थी/ विद्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर तक जानकारी पहुँचायी जाती है। छात्रवृत्ति में समाज में हाशिए के विभिन्न वर्गों के बच्चों को प्रदान की जाने वाली प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति शामिल है।

उद्देश्यः इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में ड्रॉप–आउट दर को कम करने के साथ कमजोर वर्गों के बच्चों तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

निगरानी प्रणालीः योजना की निगरानी, योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों से सूचना प्राप्त कर की जायेगी।

- लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करके इसे आधार नंबर दर्ज करके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) के साथ एकीकृत किया जाएगा; छात्रवृत्ति जमा करने के लिए यूआईडीएआई सक्षम बैंक खाते (यूईबीए) का उपयोग करना; लाभार्थी की पहचान के लिए यूआईडीएआई प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग किया जायेगा।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से लाभार्थियों और योजना के तहत व्यय के आंकड़े भारत सरकार को प्रस्तुत करें जो योजना के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी करेगा और राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट, डीबीटी मासिक डेटा रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का वर्ष–वार विवरण बनाए रखेगा, जिसमें स्कूल/ संस्थान का स्थान, सरकारी या निजी, कक्षा, लिंग, स्थायी पता और माता–पिता की जानकारी होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रासंगिक भौतिक और वित्तीय विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालेंगे।

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	**कक्षा**	**बजट अनुपात**		**पात्रता**	**पारिवारिक आय मानदंड**	**दरें**
		केंद्र (प्रतिशत)	राज्य (प्रतिशत)			
अनुसूचित जाति	9–10	60	40	छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।	करदाता नहीं होना चाहिए	डे–स्कॉलर्स के लिए 225 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए एवं साल में एक बार 750 रु और हॉस्टलर्स के लिए 525 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए

अनुसूचित जनजाति	9–10	100	––	छात्र अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए	2 लाख रुपये या इससे कम	डे–स्कॉलर्स के लिए 225 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और हॉस्टलर्स के लिए 525 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए
अल्पसंख्यक	6–10	100	––	जिन छात्रों ने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं	1 लाख रुपये या इससे कम	हॉस्टलर्स के लिए 990 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और डे स्कॉलर्स के लिए 590 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए
अन्य पिछड़ा वर्ग	1–10	50	50	छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।	2.5 लाख रुपये या इससे कम	डे–स्कॉलर्स के लिए (1–10) 100 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और हॉस्टलर्स के लिए (तीसरी से 10वीं) 500 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए
मैला ढोने वाले बच्चे	1–10	100	.....	जो व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(l)(g) के तहत परिभाषित हैं। टैनर्स एंड फ्लायर्स व्यक्ति जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(स)(क) में परिभाषित खतरनाक सफाई कार्यों में लगे हुए हैं।	.....	डे–स्कॉलर्स के लिए (पहली से 10वीं) 225 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए और 700 रुपये प्रति माह 10 महीने (तीसरी से 10वीं) के लिए

आवेदन कैसे करेः

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	आवेदन कहा करें
अनुसूचित जाति	वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
अनुसूचित जनजाति	
अल्पसंख्यक	
अन्य पिछड़ा वर्ग	
मैला ढोने वाले बच्चे	छात्रों के आवेदन हार्डकॉपी और सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।

शिकायत निवारण तंत्रः भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन के अनुसार राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।

नोडल विभागः

- अनुसूचित जाति– माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- अनुसूचित जनजाती– माध्यमिक शिक्षा विभाग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय
- अल्पसंख्यक– अल्पसंख्यक मामलात विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- ओबीसी– माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- मैला ढोने वालों के बच्चे – माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

विवरणः केंद्र सरकार द्वारा 1988 में देश के जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना शुरू की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के मुद्दों से निपटने व खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास पर जोर देना है।

उद्देश्यः योजना का मुख्य उद्देश्यः

- 9–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर परियोजना के तहत स्थापित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखना।
- विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैः
  - अनौपचारिक ब्रिज शिक्षा
  - कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षण
  - मिड डे मील
  - 150 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह
  - 20 स्कूलों के समूह के लिए नियुक्त चिकित्सक के माध्यम से हेल्थ केयर सुविधाएं ।

क्रियान्वयनः

- इस परियोजना को नागर समाज या स्वयंसेवी संस्थाओं, राज्य और जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष जिले का प्रशासनिक प्रमुख (जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/जिले के उपयुक्त) होता है। समिति के सदस्य संबंधित सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों आदि से लिए जा सकते हैं।

शिकायत निवारण तंत्रः केंद्रीय निगरानी समिति/राजकीय निगरानी समिति/विजिलेंस मॉनिटरिंग समिति।

नोडल विभागः श्रम एवं शिक्षा विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय

शिक्षा सेतु योजना

विवरण/उद्देश्यः वर्ष 2019–20 में शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य विद्यालयों से ड्रॉपआउट हो चुकी बालिकाओं तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से प्रोत्साहित करवाकर उन्हें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि उनकी क्षमता में बढ़ोतरी हो सके तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

पात्रताः विद्यालय से ड्राप आउट हो चुकी बालिकाएं

लाभः ऐसी बालिकाएं जो विद्यालय से ड्रॉपआउट हो चुकी है या किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित हो, वे अपनी शिक्षा फिर से जारी कर सकती हैं।

आवेदन कहा करें: स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

नोडल विभागः महिला एवं बाल विकास विभाग

निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

विवरणः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षा में अध्ययन हेतु सामान्य दूरी से अधिक दूरी तय करने की समस्या को दूर करने हेतु यह योजना शुरू की गयी। जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को निर्धारित अंशदान जमा करने पर सरकार द्वारा एक नयी साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य प्रवर्तित योजना है तथा राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित है।

पात्रताः बालिका किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत होनी चाहिए।

लाभः योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 100 रु का अंशदान जमा कराने पर नयी साइकिल प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रियाः छात्राओं को अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन करना होता है।

नोडल विभागः माध्यमिक शिक्षा विभाग

स्वास्थ्य से सम्बंधित योजना

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना

निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में मुआवजे के रूप में सहायता दिए जाने हेतु राज्यसरकार द्वारा वर्ष 2016 में यह योजना लागू की गयी है।

लाभार्थी:18 से 60 वर्ष की उम्र के पंजीयन निर्माण श्रमिक जो अपना अंशदान नियमित रुप से जमा करवा रहे हो।

लाभः

मद	राशि
दुर्घटना में मृत्यु होने पर	500000/-
दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर	300000/-
दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर	100000/-
दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल होने पर	20000/- तक
दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर	5000/- तक
निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर	75000/-

नोडल अधिकारी: उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी
विभाग: श्रम विभाग

आवेदन कैसे करें: विभाग की वेबसाइटhttps://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspxपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रसूति सहायता योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक महिला प्रसूता को आर्थक सहायता देना है।

लाभार्थी:

- बीओसीडब्ल्यू कार्यकर्ता, श्रमिक योग्य है।
- प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा।

लाभः पुत्री के जन्म होने पर 21000,पुत्र के जन्म पर 20000 की आर्थिककी जाती है।

नोडल अधिकारी: उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी

विभाग: श्रम विभाग

आवेदन कैसे करें: ऑफलाइन माध्यम से प्रपत्र 'अ' में स्थानीय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने वाले विभाग के अन्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन भरकर जमा करना होगा।

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए मातृत्व सहयोग (Conditional Maternity Benefit) और पोषण परामर्श देना है।

लाभार्थी

- प्रथम चरण – वह महिला जो 1.11.2020 अथवा उसके पश्चात दूसरी संतान से गर्भवती हो।
- द्वितीय चरण – वह महिला जो 1.4.2022 अथवा उसके पश्चात दूसरी संतान से गर्भवती हो।

लाभ:

किश्त	शर्त	राशि(रु)
पहली	गर्भावस्था जांच व पंजीकरण (ANC & Registration) होने पर (अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर)	1,000
दूसरी	कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें (ANC) पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर)	1,000
तीसरी	बच्चे के जन्म पर, (संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) पर)	1,000
चौथी	बच्चे के 3 माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर (टीकाकरण के अंतर्गत बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस–बी या इसके समकक्ष विकल्प की पहली खुराक मिलने पर)	2,000
पांचवीं	द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपानाये जाने (PP Sterlisation) अथवा महिला द्वारा कॉपर टी (PPIUCD) लगवाया जाने पर	1,000
	कुल	**6,000**

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी द्वारा गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली पर पंजीकरण के समय स्वयं का जन–आधार/भामाशाह आईडी और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जहां लाभार्थी का जन–आधार नहीं होगा, वहां जन–आधार बनवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

आई–एम शक्ति उड़ान योजना

योजना का उद्देश्य बालिकाओ एवं महिलाओ को सेनेटरी नैपकिन प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना, विशेषत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां घूँघट प्रथा है उन महिलाओ को जागरूक करना ताकि महिलाये अपनी माहवारी संबंधी समस्याओ पर निःसंकोच बात कर निदान प्राप्त कर सके और निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करे।

लाभार्थी:1. लड़कियाँ 2. महिलाओं
लाभः सेनेटरी नेपकिन

नोडल अधिकारीः सहायक निदेशक

विभागः महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के लिए ऑफलाइनआवेदन निःशुल्क है।

स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम कार्यक्रम फरवरी 2020 से प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरुकता पैदा करना और विद्यालय स्तर पर संचालित स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करना

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यालय से दो शिक्षकों (एक महिला व एक पुरूष) को हेल्थ एंड वेलनेस एंबेस्डर बनाया जाता है। इन शिक्षकों को स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने और रोगों के रोकथाम के लिए प्रशिक्षितकिया जाता है । इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों द्वारा हर हफ्ते बुधवार को विद्यालय में एक घंटा रोचक गतिविधियों के माध्यम से सत्र आयोजित किया जाता है ।

लाभार्थीः स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे

लाभः बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरुकता पैदा करना

विभागः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

जननी सुरक्षा योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती और गरीबी रेखा के नीचे आने वाली सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

लाभार्थीः सभी वर्ग की गर्भवती महिलायें जो सरकारी चिकित्सा संस्थानों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव करवाती है। बीपीएल परिवार की सभी महिलायें जिनका घरेलू प्रसव हुआ हो।

लाभः इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की जननी को 1400रुतथा आशा सहयोगियों को 600रु दिए जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय 1000रु तथा आशा सहयोगी को 200रु दिए जाते हैं।

नोडल अधिकारी:जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

विभागः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

आवेदन प्रकिया:सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सक खुद ही राशि उपलब्ध करायेंगे, प्राइवेट अस्पताल में बी.पी.एल.वालो को प्रमाण पत्र या परिवार स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करना पडेगा।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस योजना के तहत किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य को मुख्यधारा में लाने हेतु लोक स्वास्थ्य तंत्र को सुनिश्चित करना हैं। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य उन्नयन, किशोरों में पोषण, आकस्मिक चोट, हिंसा (लिंग आधारित), असंक्रमणकारी रोग,मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा सलाह हेतु किशोर स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना है।

लाभार्थी: इसमें 10 से 19 वर्ष की उम्र के स्कूल जाने वाले, स्कूल से वंचित और विवाहित किशोरियां

लाभ: समुदाय के प्रशिक्षित किशोर–किशोरी के माध्यम से मित्रवत तरीके से किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों एवं बीमारियों के बारे में किशोर–किशोरियों को जानकारी दी जाती है।

नोडल अधिकारी: जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना

जच्चा बच्चा की पूर्ण सुरक्षा, गर्भवती का पंजीयन,प्रसव पूर्व उचित देखभाल व सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

लाभार्थी: सभी संस्थागत (अस्पताल में) प्रसव करने वाली महिलायें व 1 माह तक के बच्चे।

लाभ: हर एक गर्भवती महिला की नियमित निःशुल्क जाँच तथा संस्थागत प्रसव कराने वाली महिला को सभी सरकारी व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों से 1000 प्रसव के समय तत्काल भुगतान तथा 1 माह तक माँ व बच्चे की निःशुल्क देखभाल बी.पी.एल. महिलाओ को घरेलू प्रसव पर भी 500रु का लाभ दिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्त सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है।

नोडल अधिकारी:जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

आवेदन कैसे करें:अपने क्षेत्र की आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा,ए.एन.एम. तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

इस योजना का उद्देश्य प्रजनन मातृ नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य रणनीति के तहत निदान तथा परामर्श सेवाओं सहित गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल करना।

लाभार्थी: गर्भवती महिला

लाभ: गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी व तीसरी तिमाही की अवधि (गर्भावस्था के 4 महीने के बाद) के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज़ प्रदान किया जाएगा।

नोडल अधिकारी: ए.एन.एम.

विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

चिरंजीवी योजना

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में हर वर्ग के लोगो लिए स्वास्थ्य सुविधा को पहुँचानाहै।

लाभार्थी:

- निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी – राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी जो वर्तमान में खाध्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार सामजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों ,सरकारी कम्पनियों में कार्यरत सविंधा कर्मीक ,लघु सीमांत कर्षक एवं गत वर्ष कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मलित होते है
- 850 रु प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी – वे परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडस रूल्स के तहत लाभ नही ले रहे है वे निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात 850 रु प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान कर लाभ ले सकते है।

लाभः

- इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का निशुल्क ईलाज का कवरेज मिलता है।
- अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन के बाद तक का खर्चा/व्यय भी मिलता है।

नोडल अधिकारी: जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

विभाग: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

आवेदन कैसे करें:

- ऑनलाइन आवेदन प्रकिया – इस योजना के लिए पंजीकरण किसी भी ई–मित्र पर निःशुल्क करवाया जा सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।
- ऑफलाइन आवेदन प्रकिया – ग्राम पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर हो रहे पंजीकरण शिविर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन फॉर्म/पंजीकरण फॉर्म लेकर आवेदन कर सकते है।

कौशल विकास से सम्बंधित योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

लाभार्थी:

- कौशल विकास का आवेदन देश के सभी बेरोजगार नागरिक कर सकते है।
- जिस आवेदक के पास आय का कोई साधन उपलब्ध नहीं हो।
- जिन युवाओं ने 10 व 12वी के बाद पढाई छोड़ दी हो।

लाभ:

- कौशल विकास योजना के अंतर्गत नागरिकों को 40 टेक्निकल क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है।
- ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात उन्हें 8 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे।

नोडल अधिकारी: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइटhttps://www.skillindia.gov.in/पर जाके कर सकते हैं।

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम

औद्योगिक/व्यावसायिक गतिविधि के विभिन्न पहलुओं पर युवाओं को शिक्षित करके युवाओं की प्रतिभा को पोषित करने के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन और विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करना। ताकि वो अपना खुद का औद्योगिक/स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सके।

लाभार्थी: युवा और अन्य लोग जो अपना खुद का औद्योगिक/व्यवसाय/स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। प्रतिभागियों की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिये।

लाभ: एमएसई (सूक्ष्म, लघु उद्यमों) के लिए संवर्धनात्मक पैकेज के अंतर्गत प्रति उम्मीदवार प्रति माह 500 रु. की वृत्तिका के साथ समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् (एससी/एसटी/महिला और दिव्यांगों) के लिए 20 प्रतिशत के कुल लक्षित उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

नोडल अधिकारी:उप निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विभाग: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइटhttp://www.dcmsme.gov.in/contacts.htmपर जाके कर सकते है।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

इस योजना का उद्देश्य सरकारी एवं शिशु गृहों के आवासियों को संस्था आधारित जीवन से समाज की मुख्यधारा में सामाजिक पुर्नसमेकन तथा पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु व्यवसायिक ,तकनिकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा ,कोशल विकास प्रदान करना है।

लाभार्थी: 17 से 21 वर्ष की आयु के सभी बालक–बालिकाएं जो बाल गृहों में रह रहे हो या पालनहार योजना के लाभार्थी हो।

लाभः

- व्यावसायिक एवं तकनिकी प्रशिक्षण
- उच्च एवं तकनिकी शिक्षा
- स्वरोजगार हेतु 50 हजार रुपये तक या वास्तविक लगत जो भी कम हो

नोडल अधिकारी:सम्बंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें:सम्बंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना RS-CIT

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण की सामान्य जानकारी, MS Word, MS Excel, MS Power Point, ईमेल इत्यादि की जानकारी दी जाती है।

लाभार्थी:

क्र.स.	आवश्यक योग्यता	टिप्पणी
1.	माध्यमिक शिक्षा	10वीं पास
2.	उम्र	16–40 वर्ष
3.	लिंग	महिलायें

लाभःकम्प्यूटर की सामान्य जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है तत्पश्चात लिखित परीक्षा में पास होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है।

नोडल अधिकारी: सहायक निदेशक

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: आवेदक इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना RS-CIT की वेबसाइट www-myrkcl-com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इंदिरा महिला शक्ति – महिला एवं बालिकाओं को निशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण RKCL के माध्यम से दिया जाता है कंप्यूटर पर एकाउंटिंग का टैली सॉफ्टवेर का प्रशिक्षण देना है।

लाभार्थी:

क्र.स.	आवश्यक योग्यता	टिप्पणी
1.	माध्यमिक शिक्षा	10वीं पास
2.	उम्र	16–40 वर्ष
3.	लिंग	महिलायें (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता तथा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी)

लाभ:वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है।

नोडल अधिकारी: सहायक निदेशक

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन प्रक्रिया:www.rkcl.in या www.wcd.rajasthan.gov.inसे आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना RS-CSEP

इस योजना का उद्देश्य आरकेसीएल के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनेलिटी डवलेपमेंट प्रशिक्षण दिया जाना है।

लाभार्थी: महिलायें

लाभ: स्पोकन इंग्लिश का ज्ञान ,व्यक्तिगत विकास का प्रशिक्षण

नोडल अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: आवेदक इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना RS-CSEPकी वेबसाइट https://www.rkcl.in/page.php?id=4 पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि योजना–कौशल शक्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य महिलाओ के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देना है।

लाभार्थीः 1.लड़कियाँ, 2.महिलाएं, विधवा, परित्यक्ता,एकल, अनुसूचित जाति,जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग व स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती हैं।

लाभःकौशल उन्यन प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेट

नोडल अधिकारीःअतिरिक्त निदेशक

विभागः महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना कौशल सामर्थ्य के लिए ऑफलाइनआवेदन निःशुल्क है।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता ना पड़े।

लाभार्थीः किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रद्त्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए। प्रार्थी बेरोजगार होना चाहिए।

लाभः

- पुरूष प्रार्थी – 4000 रूपये प्रतिमाह
- ट्रांसजेंडर ,महिला एवं विषेष योग्यजन (निःषक्तजन) प्रार्थी– 4500 रूपये प्रतिमाह

नोडल अधिकारीः सहायक निदेशक

विभागः कौशल,रोजगार और उद्यमिता विभाग

आवेदन कैसे करें: बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रमाणपत्र/ दस्तावेज ई–साईन कर अपलोड करने होंगे।

रोजगार एवं आजीविका से सम्बंधित योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और देश के गरीब परिवार के लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की शुरुआत की गई थी।

लाभार्थी: ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

लाभ:इस योजना के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100% गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा व केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और यदि रोजगार नहीं मिलता है तो भारत सरकार द्वारा इस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

नोडल अधिकारी: पंचायत सचिव/ बी.डी.ओ

विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

आवेदन कैसे करें: इसके लिए आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रपत्र के द्वारा किया जा सकता है।

नोट – इस योजना में 100 दिन का रोजगार नरेगा कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कारवाया जाता है। जो लाभार्थी 100 दिन के काम को पूरा कर लेते है उन्हें 25 दिन का रोजगार अलग से राज्य सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** के तहत उलपब्ध करवाया जाता है।

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना

राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारोंको आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर यह योजना शुरु की गई।

लाभार्थी:

- आवेदनकर्ता को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।योजना में शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत व्यक्ति पात्र होंगे।
- इसके अंतर्गत परिवार हेतु जनआधार कार्ड अनिवार्य हैं। जनआधार यूनिट को परिवार यूनिट माना जायेगा।

लाभ: बेरोजगार नागरिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

नोडल अधिकारी: सम्बंधित नगर निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी

विभाग: स्थानीय स्वशासन विभाग

आवेदन कैसे करें:

ऑफलाइन – कोई भी पात्र व्यक्ति सम्बंधित नगर निकाय में जॉब कार्ड बनवाने के लिए प्रपत्र–1 में आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन –IRGY&URBAN MIS पोर्टल तथा इ–मित्र केंद्र पर जाकर कर सकते है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकीआजीविका में निरंतर वद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।

लाभार्थी: बीपीएल, अन्तोदय कार्ड धारक परिवार और शहरी परिवार जिनकी आय 3 लाख से कम है

लाभ: इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा स्ट्रीट वेंडर को वित्तीय सहायता एवं बेघर लोगों को स्थाई आश्रय भी प्रदान किया जाता है।

नोडल अधिकारी: अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय शहरी निकाय

विभाग: स्थानीय स्वशासन विभाग

आवेदन कैसे करें: स्थानीय शहरी निकाय में ऑफलाइन माध्यम से

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं को अपना खुद का उद्योग शुरू करने हेतु 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थी:

- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक कम से कम आठवीं पास होना चाहिए,यह ऋण केवल बिजनेस शुरू करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

लाभ: बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा।

नोडल अधिकारी:उप निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विभाग: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

आवेदन कैसे करें:pmegpeपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

इंदिरा गाँधी महिला शक्ति उद्मम प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य उद्यम की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु महिला/महिला स्वयं सहायता समूह/महिला स्वयं सहायता समूह संघ को बैंकों के माध्यम से अनुदान

युक्त ऋण उपलब्ध करवाना एवं स्वरोजगार/रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है।

लाभार्थी:

- महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह (क्लस्टर या फेडरेशन) का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गतरजिस्ट्रेशन दर्ज होना आवश्यक है तथा समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- व्यक्तिगत आवेदन की न्यूनतम 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है।

लाभ: आवेदक या स्वयं सहायता समूह में अधिकतम ऋण राशि 50 लाखरूपये तथा स्वयं सहायता समूह (क्लस्टर या फेडरेशन) में अधिकतम 1 करोडरूपये तक ऋण राशि दी जाती है।

नोडल अधिकारी :सहायक निदेशक

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन की प्रकिया: आवेदक इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की वेबसाइट https://ssoapps.rajasthan.gov.in/imsupy/query.aspx पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जाग्रति बैक टू वर्क योजना

इस योजना का उद्देश्य वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि टेण्ड प्रोफेश्नल्स एवं कामकाजी महिलाऐं शादी के बाद घर–परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती ऐसी महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने/वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध करवाना है।

लाभार्थी: राजस्थान की मूल निवासी महिलाएं जिन्हे जॉब करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो या किसी कारणवश जॉब छोड़ दिया हो

नोट: ऐसी महिलाएं (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, हिंसा से पीड़ित महिला) को प्राथमिकता दी जाएगी

लाभ:प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमीनार, वेबिनार, नेटवर्किंग कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से चिन्हित लाभार्थी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

नोडल अधिकारी:अतिरिक्त निदेशक

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: आवेदक बेक टू वर्क की वेबसाइट www.jagritibacktowork.orgपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम

कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी छात्रों का इंटर्नशिप के लिए कैंपस सलेक्शन करेगी।

लाभार्थी:

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री 60 प्रतिशत अंकों से पास होनी आवश्यक है, इंजीनियरिंग मेडिकल सीए, सीएस व वकालत की स्नातक डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते है।
- अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में लिखने पढ़ने व समझने का ज्ञान होना आवश्यक है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड व कंप्यूटर का समाने नॉलेज होनी चाहिए।

लाभ: राजस्थान यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत अभ्यर्थियों को 2 साल के लिए 30000 प्रतिमाह एवं कंप्यूटर से सम्बंधित खर्चों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह दिए होंगे।

विभाग: आर्थिक और सांख्यिकी विभाग

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थी SSO ID (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य बेरोजगारी दर कम करने के लिए युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोसाहित करना है। इस योजनातर्गत राज्य के युवाओं को अपना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

लाभार्थी:

- आवेदन करने के लिए आवेदक की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एवं आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- स्वम सहायता समूह या भगीदारी फर्म ,एलएलपी फर्म एवं कंपनियों को राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।

लाभ:

क्र संख्या	अधिकतम ऋण की राशि	ब्याज सब्सिडी (प्रतिशत में)
1.	25 लाख लोन राशि तक	8
2.	25 लाख से 5 करोड़ रूपए की ऋण राशि	6
3.	5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए की ऋण राशि तक	5

विभाग: उद्योग विभाग

आवेदन प्रकिया: SSO के माध्यम से (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)

महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित योजना

नई रोशनी

अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना'' संचालित है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु चयनित संस्था द्वारा आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण का संचालन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के तहत 7 संस्थाओं के 10 प्रस्ताव का चयन अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।

इस योजना से वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1250 अल्पसंख्यक महिला गैर आवासीय प्रशिक्षण से तथा 525 आवासीय प्रशिक्षण से कुल 1775 अल्पसंख्यक महिला लाभान्वित हुई है, तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त योजना हेतु प्रस्ताव सीधे ही स्वंय सेवी संस्था द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

लाभार्थी: 18 से 65 वर्ष की आयु की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक न हो।

लाभ:निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमे बैंकिंग प्रणाली की जानकारी, सरकारी प्रणाली और अन्य संस्थानों से बात करने का सलीका सिखाया जायेगा साथ ही आधुनिक उपकरण और तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा

नोडल अधिकारी:जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

विभाग: अल्पसंख्यक मामलात विभाग

आवेदन कैसे करें: योजना की वेबसाइट nairoshni-moma.gov.in

महिला शिक्षण विहार

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी, विधवा, परित्यक्ता, समाज द्वारा प्रताड़ित जो अधिक उम्र के कारण पढ़ नही पायी उनको एक वर्ष अवधि में आवासीय व्यवस्था के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा एवं जीवनयापन से समबंधित प्रशिक्षण देना है।

लाभार्थी: 15 से 30 वर्ष की आयु विधवा, परित्यक्ता, SC ST की महिलायें।

लाभ: आवास, भोजन, दो ड्रेस, पांच वर्ष तक के बच्चे को साथ रखने की सुविधा।

नोडल अधिकारी: मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना सम्न्वय अधिकारी ,समग्र शिक्षा।

विभाग: शिक्षा विभाग

आवेदन कैसे करें: प्रवेश जुलाई माह में प्रारम्भ होने की सूचना समाचार पत्रों में दी जाती है जिले में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, प्रेरकों एवं ब्लॉक कोर्डिनेटर के माध्यम से जरुरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर विहार में प्रवेश दिलवाया जाता है।

इंदिरा महिला शक्ति केंद्र

इस योजना का उद्देश्य जिलों की महिलाओं व बालिकाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुनने व समाधान के लिए दूरभाषा पर परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना है।
लाभार्थी:महिलाएं व किशोरी बालिकाएं

लाभः इसके साथ ही किशोरी बालिकाओं को कैरियर काउंसलिंग किशोरावस्था में आने वाली मानसिक समस्याओं व माहमारी स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पर भी काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

नोडल अधिकारी:जिलाकलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स

विभागः महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें:इस केंद्र तक महिला/बालिका –फोन द्वारा/स्वयं/ई–मेल से/रिश्तेदार/मित्र/गैर सरकारी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/अन्य फ्रंटलाईन कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुच सकती है।

महिला हेल्पलाइन

महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनको शोषण एवं उत्पीडन से बचाने तथा समुचित सरंक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर मुख्यालय पर स्थित राज्य महिला आयोग में एक राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाइन 181 स्थापित की गई,जो 24 घंटे कार्यरत रहती है।
लाभार्थी: 1. लड़कियाँ 2. महिलाएं
लाभः पीड़ित महिलाओं को रेफरल के माध्यम से सहायता प्रदान करना।

नोडल अधिकारी : सहायक निदेशक (महिला एवं बाल विकास विभाग)

विभागः महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: महिला हेल्पलाइन 181 के लिए ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क है।

किशोरियों के लिए स्कीम ै;ॆळद्ध

विवरण/उद्देश्यः इस योजना के माध्यम से स्कूल न जाने वाली 11–14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं (पढ़ाई छोड़ चुकी/ वो बालिकाएं जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ/ नामांकन हो गया लेकिन स्कूल नहीं गयी) के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु उन्हें औपचारिक/ अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ते हुए सशक्त बनाना है।

लाभार्थी: इस योजना में 11–14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां शामिल हैं।

क्रियान्वयनः स्कीम का कार्यान्वयन मौजूदा समेकित बाल विकास याजना(आईसीडीएस) स्कीम के तहत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है ।

आवेदन कैसे करे: किशोरी बालिकाओं को आंगनबाडी केंद्र/आंगनवाड़ी चिकित्सा अधिकारी/ सहायक नर्स दाई के पास जाकर संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके भरना होगा।

शिकायत निवारण तंत्रः केंद्रीय स्तर पर सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य स्तर पर सचिव महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम स्तर पर आईसीडीएस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है।

नोडल विभाग– महिला एवं बाल विकास विभाग

मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस)

विवरणः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2011 द्वारा किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 10–19 वर्ष के आयु समूह की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। केंद्रीय सरकार की यह योजना कई राज्यों में अलग अलग नाम से चलाई जाती है जिसमें कुछ तो केंद्र की वित्तीय सहायता से चलायी जाती है और कुछ पूरी तरह से राज्य पोषित होती है।

उद्देश्यः किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच और उपयोग को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित करना।

क्रियान्वयनः राज्य में एमएचएस के क्रियान्वयन के लिए निम्न प्रकार के ढांचे का प्रावधान किया हैः

- आशा कार्यकर्ता द्वारा घर–घर जाकर तथा साथ ही स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किशोरियों को 6 रूपए में 6 सेनेटरी नैपकिन का पैक वितरित किया जाता है।
- बिक्री से प्राप्त आय से आशा को प्रति पैक 1 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, साथ ही प्रति माह सैनिटरी नैपकिन का मुफ्त पैक भी मिलता है।
- **बिक्री की आय के बाद एकत्रित की गयी धनराशि का उपयोग निम्न तरह किया जा सकता हैः**
  - आशा द्वारा नैपकिन वितरण के दौरान की गयी यात्रा व्यय का भुगतान और सैनिटरी नैपकिन के स्टोरेज के लिए किराये की लागत (यदि कोई हो) का भुगतान।
  - किशोरियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर मासिक बैठक आयोजित करने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 रुपये का भुगतान।
- शेष राशि राज्य स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा की जाती है जिसका उपयोग आगामी वर्ष में नैपकिन खरीदने के लिए किया जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्रः सहायक नर्स दाई (ANM)

नोडल विभाग– महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मुख्यमंत्री राजश्री योजना (राजस्थान)

विवरण/उद्देश्य : वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार द्वारा यह योजना बेटियों की जन्म दर बढ़े, बेटियों को अच्छी परवरिश मिले एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होगी।

पात्रताः बालिकाएं जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सेवायें: इस योजनान्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 रु तक की आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती है, ये राशि निम्न चरणों में दी जाती है।

चरण	राशि
बेटी के जन्म पर	2500 रु
एक वर्ष का टीकाकरण होने पर	2500 रु
पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर	4000 रु
कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर	5000 रू
कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर	11,000 रु
कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर	25,000 रू

आवेदन कहां करें: जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें।

शिकायत निवारण तंत्रः सम्बंधित जिला कलेक्टर

नोडल विभागः महिला एवं बाल विकास

महिला पुनर्वास से सम्बंधित योजना

महिला सदन /नारी निकेतन

इस योजना का उद्देश्य अनैतिक सामाजिक रूप से उत्पीडित एवं निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनमे नवजीवन का संचार करना है ताकि महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
लाभार्थी: महिलाएं

लाभ:निशुल्क आवास,भोजन,चिकित्सा,वस्त्र,शिक्षण,प्रशिक्षण और स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर सामाजिक पुनर्वास किया जाता है।

नोडल अधिकारी:अतिरिक्त निदेशक

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: महिला सदन/नारी निकेतन के लिए ऑफलाइन आवेदन निःशुल्क है।

उज्ज्वला योजना

इस योजना का उद्देश्य देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनाकर इन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) के माध्यम से किया जा रहा है।
लाभार्थी:

- व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की चपेट में आने वाली महिलाएं और बच्चें।
- वे महिलाएं और बच्चें जो व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार हो।

लाभ: पुनर्वास, बचाव, पुनः एकीकरण

नोडल अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक

विभाग: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

आवेदन कैसे करें: ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।

स्वाधार गृह योजना

इस योजना का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

लाभार्थी: प्राकृतिक आपदा से पीड़ित महिलाएं, घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव से पीड़ित महिलाएं,अवैध व्यापार से पीड़ित महिलाएं, एड्स पीड़ित महिलाएं जिनको कोई सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो।

लाभ: निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा, शिक्षण प्रशिक्षण एवं कानूनी सहायता उपलब्ध करवाकर सामाजिक पुनर्वास किया जाता हैं।

नोडल अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक

विभाग: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वन स्टॉप सेंटर

इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर आवश्यकतानुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

लाभार्थी:18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं सहित वे सभी महिलाएं जो हिंसा, जाति, धर्म, क्षेत्र, यौन आदि समस्याओं से प्रभावित हो।

लाभ : चिकित्सकीय, पुलिस,विधिक, परामर्श सेवाए,अस्थाई आश्रय से सम्बंधित सेवाए निःशुल्क दी जाती है

नोडल अधिकारी : सहायक निदेशक

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें:नजदीकी वन स्टॉप केंद्र पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हिंसा से व्यथित महिलाओं को उपयुक्त मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर उसे हिंसा से सरंक्षण प्रदान कराए जाने में सहयोग देना है।

लाभार्थी: हिंसा से प्रभावित महिलाएं

लाभ : सामाजिक और कानूनी परामर्श, पुलिस कार्यवाही एवं सहायता ,पुनर्वास , मेडिकल सहायता

नोडल अधिकारी: सहायक निदेशक

विभाग: महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: नजदीकी महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।

विवाह हेतु सहायता से सम्बंधित योजना

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को उनकी पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।

लाभार्थी: विधवा महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया हो तथा उसके परिवार में कमाऊ सदस्य की उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं हो। साथ ही परिवार की वर्षिक आय 20000 रु से अधिक की नहीं हो तथा कन्या की आयु 18 वर्ष से काम नहीं हो।

लाभ:विधवा की दो पुत्रियों के विवाह पर 10,000 रू की आर्थिक सहायता दी जाती है।

नोडल अधिकारी:संबंधित जिला अधिकारी

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित फॉर्म में आवेदन किये जाने का प्रावधान है।

सहयोग एवं उपहार योजना

इस योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के बीपीएल परिवार की कन्याएं,अत्योंदय परिवारों की कन्याएं,आस्था कार्डधारी परिवार की कन्याएं तथा आर्थिक दर्षि्ट से ऐसे कमजोर परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यस्क व्यक्ति नहीं हो, की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

लाभार्थी:सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अत्योंदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, विधवा महिलाओ की पुत्रियां

लाभ:

क्र.स.	पात्रता	अनुदान	प्रोत्साहन राशि
1	पात्र वर्ग की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	20000/–	–
2	पात्र वर्ग की 10वीं उतीर्ण कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	20000/–	10000/–
3	पात्र वर्ग की स्नातक उतीर्ण कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि वर्ग की 10वीं उतीर्ण कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	20000/–	20000/–

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निश्चित विवाह तिथि के छह माह पश्चात तक जिला अधिकार को प्रेषित किया जा सकता है।

शुभ शक्ति योजना

इस योजना का उदेश्य हिताधिकारी अविवाहित महिलाओं तथा हिताधिकारी श्रमिक की बालिक बेटियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

लाभः

योजना के अंतर्गत राज्य सरकार श्रमिक परिवार की अविवाहित लड़कियों और महिला हिताधिकारी को 55000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

लाभार्थीः

- लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष से मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों।
- हताधिकारी की अधिकतम दो पुत्री अथवा महिला अधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन देय होगा।
- लाभार्थी महिला एवं बेटी 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा 18 वर्ष से कम उम्र न हो।
- लाभार्थी महिला एवं लाभार्थी बेटी का बैंक में खाता होना चाहिए।
- लाभार्थी का अपना माकन होने की दशा में शौचालय होना आवश्यक है।

नोडल अधिकारीःउप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी

विभागः श्रम विभाग

आवेदन कैसे करें: इस योजना में आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार श्रमिक कल्याण मण्डल की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके, उसमे मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद जरुरी कागजों की फोटो कॉपी लगा कर श्रम विभाग में जमा करें।

सामूहिक विवाह अनुदान योजना

इस योजना का उद्देश्य सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने,विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने के लिए आर्थिक अनुदान देना,बाल विवाह एवं दहेज़ जैसी कुप्रथाओ पर रोक लगाना है।

लाभार्थीः

- सामूहिक विवाह में लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य है।
- यह अनुदान सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संगठन व संस्थाओ को दिया जाता है जो कि एक ही स्थान पर एक ही समय में, कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ो का सामूहिक विवाह आयोजित करते हैं।

लाभः 18,000 रूपये प्रति जोडे के लिए दिए जाते हैं (जिसमें 15000 रु वधु को तथा 3000 रु सामूहिक विवाह करने वाली संस्था को दिए जाते हैं)।

नोडल अधिकारी : सहायक निदेशक

विभागः महिला आधिकारिता निदेशालय

आवेदन कैसे करें: आयोजक संस्था आयोजन के 10 दिन पूर्व वर वधु के सम्पूर्ण दस्तावेज सक्षम अधिकारी को साक्ष्य के रूप में आवेदन प्रस्तुत करती है।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कई परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देने के साथ ही परिवार को बेटी की उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

लाभः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह हेतु 31000/– , दसवीं पास होने पर 41000/– व स्नातक पास होने पर 51000/– पुत्री के विवाह हेतु दिए जाते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं पर विशेष योग्यजन, पालनहार योजना का लाभ लेने, महिला खिलाड़ी के विवाह की लड़कियों के विवाह पर 21000/–, दसवीं पास होने पर 31,000 तथा स्नातक पास होने पर 41000/– पुत्री के विवाह पर दिए जाते हैं।

लाभार्थी बेटी को सहायता राशि का आधा हिस्सा विवाह के पूर्व व शेष विवाह के बाद दिया जाता है।

लाभार्थीः

- राजस्थान का मूलनिवासी परिवार ही योजना के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ सभी वर्गों के बीपीएल परिवार व आस्था कार्डधारी परिवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
- राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, पालनहार योजना में लाभान्वित वर्ग, अंतोदय महिलाओं की बेटियां योजना के लिए पात्र हैं।
- ऐसी महिला भी अपनी बेटी के लिए आवेदन कर पाएंगी, जिनके पति की मौत हो गई हो और उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया हो, तथा महिला की आया 50 हजार रुपए से अधिक नहीं हो और परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक की आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो।

विभागः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: ई–मित्र किओस्क के माध्यम से

सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओ की आर्थिक सहायता करना है।

लाभार्थी:बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाये

लाभः

मद	राशि
40–55 वर्ष की आयु के पेंशनर्स	500/–
55–60 वर्ष की आयु के पेंशनर्स	750/–
60–75 वर्ष की आयु के पेंशनर्स	1000/–

नोडल अधिकारी:अतिरिक्त निदेशक

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की वेबसाइट https://pension.raj.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या आवेदन हेतु SSO (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) पर लॉगिन के पष्चात आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

इस योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाये जिनकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, उनके जीवन निर्वाह हेतु उनको आर्थिक सहयता प्रदान करना है।

लाभार्थी:विधवा महिलायें, वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो,

लाभः

मद	राशि
18–55 वर्ष की आयु	500/–
55–60 वर्ष की आयु	750/–
60–75 वर्ष की आयु	1000/–
75 वर्ष से अधिक की आयु	1500/–

नोडल अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक

विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदक मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://pension.raj.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या आवेदन हेतु SSO (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का उद्देश्य सभी दिव्यांगों के जीवनयापन की स्थिति को सुधारना है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता की मदद से दिव्यांग अपनी जरूरी सामग्री खरीद सकता है।

लाभार्थीः किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निःशक्ता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजडेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोंतो से) रूपए 60,000/– तक हो, पेंशन का पात्र होगा।

लाभः

- 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को. 750 रू प्रतिमाह,
- 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 1000 रू प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रू. 1250 रू प्रतिमाह
- किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशरन को रू. 1500 रू प्रतिमाह

विभागः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आवेदन कैसे करें: आवेदक ई मित्र एवं SSO (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) कर आवेदन कर सकते हैं।

बाल संरक्षण से सम्बंधित योजना

समेकित बाल संरक्षण योजना

विवरणः यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009–10 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गयी। यह सभी बच्चों, विशेष रूप से कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों, के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को सम्मिलित कर शुरू की गयी है।

उद्देश्यः समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थतियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान करना। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 142 गृह संचालित हैं, जिनमें बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।

पात्रताः विधि विवादित, निराश्रित, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले, सड़क पर निवास करने वाले, सड़क पर कचरा बीनने वाले तथा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे।

क्रियान्वयनः इस योजना को मिशन मोड में लागू करने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला बाल संरक्षण समितियों को राज्य और जिला स्तर पर मौलिक इकाइयों के रूप में स्थापित किये जाने का प्रावधान है। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी (सारा) स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के तहत एक इकाई के रूप में कार्य करेगी। ये सोसायटियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होंगी और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगी।

शिकायत निवारण तंत्रः

- राष्ट्रीय स्तर– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- राज्य स्तर – राज्य बाल संरक्षण समिति
- जिला स्तर –जिला बाल संरक्षण समिति

नोडल विभागः बाल अधिकारिता विभाग

पालनहार योजना

योजना का उद्देश्य :– अनाथ बालक–बालिकाओं के लालन–पालन की व्यवस्था परिवार के ही भीतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।

योजना के लाभार्थी :– अनाथ–बालक, बालिका, विधवा या परित्यक्ता जिन्हें पेंशन लाभ मिल रहा है के बच्चे, आजीवन कारावास/मृत्युदंड भोग रहे माता पिता के बच्चे, कुष्ठ या एच.आई.वी. पीड़ित माता–पिता के बच्चे इस योजना में पात्र हैं। यह योजना केवल 2 बच्चो तक ही है तथा 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी में पंजीकृत हों तथा 6 से 15 वर्ष तक के बच्चे नियमित विद्यालय में अध्ययन कर रहे हों।

योजना अंतर्गत उपलब्ध सेवायें :– 1 से 5 तक के प्रत्येक बच्चे को 1500 रूपये प्रतिमाह तथा 6 से 15 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये प्रतिमाह तथा 2000 रुपये वर्ष में एक–बार (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर) प्रत्येक बच्चे को कपड़ों आदि के लिए दिए जाते हैं।
आवेदन कहॉ करें:– शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्वीरकृत किया जाता है।

पोषण से सम्बंधित योजना

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उदेश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पध्दतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना हैं।

लाभार्थी:

- दिनांक 01.01.2017 को या उसके पश्चात् प्रथम जीवित बच्चे से सम्बंधित समस्त गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं योजना में पात्र है।
- लाभार्थी के लिए गर्भधारण की तिथि तथा चरण की गणना एमसीपी कार्ड में उसकी पिछले माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जाएगी।
- एक लाभार्थी केवल इक बार योजना के तहत सशर्त मातृत्व लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

लाभः लाभार्थी को निर्धारित शर्ते पूरी करने पर कुल 5000 रुपये की राशि तीन किश्तों में (1000, 2000, 2000) दी जाती हैः

क्र.सं.	नकद अंतरण	शर्ते	राशि (रुपये में)
1	प्रथम किस्त	गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण	1000
2	दूसरी किस्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच	2000
3	तीसरी किस्त	बच्चे के जन्म का पंजीकरण	2000
		रोगों से बच्चों के बचाव के लिए बच्चों को बी.सी.जी., डी.पी.टी. एवं हेपेटाईटिस–बी. उसके समकक्ष टीके लगे हो।	

नोडल अधिकारी: CDPO

विभाग: समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय

आवेदन कैसे करें: आंगनबाड़ी केन्द्र पर फार्म–1 ए/बी/सी में आवेदन तथा समस्त दस्तावेजो की प्रतिलिपि सहित किश्त की राशि प्राप्त करने सम्बन्धी नियत मापदंड एवं शर्तो को पूर्ण करने का प्रमाण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। कार्यकर्ता द्वारा आवेदक की रसीद दी जावेगी।

समेकित बाल विकास सेवा

योजना का मुख्य उदेश्यः

- 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं सवास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं समाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।

- कुपोषण, बाल मृत्यु,रुग्णता तथा बीच में पढाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
- बाल विकास को प्रोत्साहन के लिए सम्बंधित विभाग के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना।

लाभार्थी: सभी 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे, सभी गर्भवती महिलाएं, माताएं एवं किशोरियां।यहाँ बच्चों को पोषाहार एवं स्कूल जाने से पूर्व शिक्षा व खेलकूद की सुविधा दी जाती हैं। किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर सामान्य दवाएं, ओ.आर.एस. का घोल एवं पोषक आहार उपलब्ध कराया जाताहै।सभी बच्चों का महीने में एक बार वजन लेकर ग्रोथ कार्ड पर दर्ज किया जाता है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य दिवस (एम.सी.एच.एन.डे.) पर टीकाकरण भी किया जाता है।

लाभः

क्र.सं.	सेवा	लाभार्थी
1	पूरक पोषाहार	6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती–धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
2	शाला पूर्व शिक्षा	3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे
3	पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा	15 से 45 वर्ष आयु की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
4	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं
5	स्वास्थ्य जाँच	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती–धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
6	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएं	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाए

उपरोक्त 6 सेवाओं में से 3 सेवाएँ (क्रम संख्या 4 से 6 तक) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाडी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है।

नोडल अधिकारी: CDPO

विभाग: समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय

आवेदन कैसे करें: अपने क्षेत्र का आंगनबाड़ी केंद्र।

खेल से सम्बंधित योजना

जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास

अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ एवं सिरोही जिले में विशेषज्ञों द्वारा खेलो में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में खेल सुविधाओं के उपकरणउपलब्ध करवाए जाते है एवं जनजाति जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

लाभार्थी: अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के बालक एवं बालिकाएं।

लाभः खेल उपकरण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है।

नोडल अधिकारी: खेल अधिकारी/उपायुक्त

विभागः जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आवेदन कैसे करें: ऑफलाइन माध्यम से सम्बंधित अधिकारी को जमा करें।

निर्माण श्रमिक अर्न्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में नियोजित पंजीकृत हिताधिकारियों तथा उनके बच्चों को अर्न्तराष्ट्रीय खेलों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

लाभार्थी: इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होगें, जो हिताधिकारी के रूप में निर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं। उक्त के अतिरिक्त निर्माण श्रमिक के अविवाहित पुत्र एवं पुत्री भी योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र होगे।

लाभः

मद	राशि
प्रतियोगिता में भाग लेने पर	2,00,000/–
कांस्य पदक प्राप्त करने पर	5,00,000/–
रजत पदक प्राप्त करने पर	8,00,000/–
स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर	11,00,000/–

नोडल अधिकारी: उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी

विभागः श्रम विभाग

आवेदन कैसे करें: लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मण्डल के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

अन्य योजना

नेहरु युवा केंद्र संगठन

युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में पूरी क्षमता की प्राप्ति के लिए और उन के बीच में नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए किशोरों सहित युवाओं के समग्र विकास के लिए अवसर प्रदान करना है।

विभाग: युवा मामलों के मंत्रालय

एसएसओ (SSO) पोर्टल

राज्य सरकार द्वारा एसएसओ (SSO) के पोर्टल के माध्यम से नागरिको को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन एवं अन्य सेवाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गयी है । यह एसएसओ पोर्टल राजस्थान के निवासी को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्यो और सरकारी वेबसाइट के लिए एक ही नाम और और पासवर्ड का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल 100 से अधिक विभागों की ऑनलाइन सेवाएं एक समय में उपलब्ध कराता है। एसएसओ के पोर्टल के ज़रीये घर बैठे आसानी से सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा लिया जा सकता है। एसएसओ आईडी सेवा का लाभ लेने के लिए एसएसओ के पोर्टल (https://sso-rajasthan-gov-in/signin) पर जाकर पंजीकरण करना होगा पंजीकरण के बाद पंजीयनकर्ता को आई.डी. पासवर्ड मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से पंजीयनकर्ता एसएसओ के पोर्टल पर सेवाओं का लाभ ले सकते है।

जन सूचना पोर्टल, राजस्थान

राजस्थान सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल की शुरुआत दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को की गयी। राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभागों ने मिलकर जन सूचना पोर्टल को तैयार किया है। जन सूचना पोर्टल के बनने में कई सारे जन संगठनों एवं समाज सेवियों का भी योगदान रहा है। इस पोर्टल पर राज्य में चल रही किसी भी योजना के लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति तथा लाभ आदि की सूचना घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर देख सकते हैं तथा इसके लिए मोबाइल एप भी बनायीं गयी है जिसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। जन सूचना पोर्टल पर योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पर जाए– jansoochna.rajasthan.gov.in

जन कल्याण पोर्टल, राजस्थान

राज्य में जन कल्याण पोर्टल सरकार द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। जन कल्याण पोर्टल को राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग तथा योजना विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस पोर्टल पर प्रदेश के नागरिक राजस्थान में संचालित किसी भी योजना के बारे में जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ आदि को देख सकते हैं। राज्य की जनता की सरकारी योजनाओं तक पहुँच बढ़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पर जाए– jankalyan.rajasthan.gov.in